न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 106/04 (72/97) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– रतन सिंह बनाम लीला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	वि0 वि0
30.3.2017	पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई । बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली का अवलोकन करने पर सिद्ध होता है कि पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण में अदालत हाजा द्वारा दिनांक 8.12.97 को आदेश पारित कर विवादित भूमि पर नायब तहसीलदार नीमराणा को रिसीवर नियुक्त किया गया था । इस आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ में निगरानी की गई थी । दिनांक 16.4.98 को उक्त निगरानी प्रार्थना का निर्णय करते हुये अदालत हाजा द्वारा नायब तहसीलदार नीमराणा को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था, उसे बहाल रखते हुये अदालत हाजा को निर्देश दिये गये थे कि यह देखा जावे कि अदालत हाजा के आदेश दिनांक 8.12.97 की कियान्विति किस प्रकार हो रही है तथा जिस पक्षकार ने पूर्व में जारी किये गये न्यायिक आदेशों का उल्लंघन किया है, उसके सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट बनाकर संबंधित पक्षकार के खिलाफ न्यायिक अवमानना की कार्यवाही भी प्रारम्भ करावें । तहसीलदार नीमराणा से यह पूछा जावे कि यदि पक्षकार बिना किसी सक्षम आदेश के कृषि भूमि का अकृषि कार्यों में प्रयुक्त कर रहा था तो क्या उनके खिलाफ धारा 91 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं । यदि नही तो क्यों नहीं । माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ नजरसानी प्रा0 पत्र पेश किया गया, जो खारिज हो गया । माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त आदेश की पालना में	

Scanned by CamScanner

सहायक कलेक्टर, बहरोड को वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिये अदालत हाजा द्वारा पत्र जारी किया गया था । जिसकी पालना में सहायक कलेक्टर, बहरोड ने पत्रांक 1287 दिनांक 5.11.2004 द्वारा अवगत कराया है कि विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त है और कब्जे राज लिया जा चुका है । मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा परिवर्तन नहीं हुआ है , मौके पर स्थिति ज्यों की त्यों कायम है ।

चूंकि भूमि पर रिसिवर कायम है, कब्जे राज भूमि ली जा चुकी है तथा भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अर्थात किसी पक्षकार द्वारा न्यायिक आदेश की अवहेलना नहीं की गई है । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त आदेशों की पालना की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है । लिहाजा अपील अपीलाट खारिज की जाती है ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner